

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20-04-16

1

क्रमांक/वित्त/आडिट/अ/ 2016/७७

प्रति,

- 1/ समस्त संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश।
- 2/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:- विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को अवकाश सुविधा।
संदर्भ:- म0प्र0 शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2/2006/नियम/चार दिनांक 13 अगस्त 2008.

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 419/2008/नियम/चार, दिनांक 16 जून 2008 द्वारा विश्रामावकाश विभाग में शैक्षणिक संवर्गों को विश्रामावकाश का लाभ लेने से वंचित होने की स्थिति में उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश के नगदीकरण की पात्रता अन्य विभागों के कर्मचारियों के समान दी गई है।

म0प्र0 शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2/2006/नियम/चार दिनांक 13 अगस्त 2008 द्वारा उपर्युक्त सुविधा का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से विश्रामावकाश की अवधि में शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आहूत किये जाने के प्रशासकीय अधिकार को निम्नानुसार निर्धारित किया है।

- 1- संबंधित कलेक्टर - एक वर्ष में अधिकतम 15 दिवस
- 2- विभागाध्यक्ष - एक वर्ष में अधिकतम 30 दिवस

उपरोक्त निर्देशों के विपरीत संकुल प्राचार्य/जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने स्तर से विश्रामावकाश की अवधि में शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आहूत किया जाकर आनुपातिक रूप से अर्जित अवकाश सुरक्षित किया जा रहा है, जिसके आधार पर पात्रता से अधिक अर्जित अवकाश समर्पण का लाभ प्रदान किया जा रहा है जिससे शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ रहा है।

भविष्य में शासनादेशों के अधीन समर्पण का लाभ न होने पर अनियमितता के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जावेगी।

अतः वित्त विभाग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार
(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

2/18/4/16
अपर संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0

पृष्ठांकन क्रमांक/वित्त/आडिट/अ/ 2016/
प्रतिलिपि:-

संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, स्थापना-1,2,3,4 की ओर सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

हस्ता/-
अपर संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय

क्रमांक: 113/2008/वि.न/पर
प्रति,

धोपाल, दिनांक 16 जून, 2008

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय- विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को अवकाश सुविधा।

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-1/13/7.11-1/चार, दिनांक 16-9-1980 के द्वारा राज्य शासन ने अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश के नगदीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसकी अधिकतम सीमा 240 दिन है। विश्रामावकाश विभाग के शैक्षणिक संवर्गों जिन्हें विश्रामावकाश अवधि में ड्यूटी पर बुलाये जाने के फलस्वरूप ब्लाक छूट के बदले देय अर्जित अवकाश को सेवानिवृत्ति के समय नगदीकरण का प्रस्ताव शासन के विचारार्थीन था। उपरोक्त के संबंध में राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि :-

- (1) अर्जित अवकाश की गणना का प्रयोजन हेतु विश्रामावकाश की अवधि 45 दिन निर्धारित की जाती है। ड्यूटी पर रहने से विश्रामावकाश का लाभ लेने से वंचित होने की स्थिति में अर्जित अवकाश की पात्रता, 30 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन उतने दिन की ही हो जितने दिन ड्यूटी पर रहने से विश्रामावकाश का लाभ नहीं लिया जा सका। यदि अन्य कारणों से अतिरिक्त विश्रामावकाश की सुविधा देय है तो वह अर्जित अवकाश की पात्रता के प्रयोजन हेतु गणना में नहीं ली जायेगी। यह व्यवस्था दिनांक 1-1-2008 से लागू की जाती है।
- (2) दिनांक 1-1-2008 से पूर्व में प्रकरणों में अर्जित अवकाश की स्वीकार्यता मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के दिनांक 1-1-2008 के पूर्व प्रभावशील नियम 27 (2) के अनुसार होगी अर्थात् ऐसे शासकीय कर्मचारी जिसे सम्पूर्ण विश्रामावकाश का लाभ उठाने से वंचित कर दिया गया है, स्वीकार्य अर्जित अवकाश 30 दिन के अर्जित अवकाश का वह अनुपात होगा जो उपभोग न किए गए विश्रामावकाश के दिनों तथा सम्पूर्ण विश्रामावकाश के दिनों में से होगा। यदि किसी वर्ष विश्रामावकाश का लाभ नहीं उठाया जाता है तो उसके एक वर्ष के लिए नियम 25 के प्रावधानों के अनुसार अर्जित अवकाश स्वीकार्य होगा।
- (3) विश्रामावकाश विभाग के शैक्षणिक संवर्गों को विश्रामावकाश का लाभ लेने से वंचित होने की स्थिति में उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश के नगदीकरण की पात्रता अन्य विभागों के कर्मचारियों के समान दी जाएगी।

PTO

अधीक्षक (वि.न/पर)
वित्त विभाग
(नि.वि. शा.पर)

(4) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक संवर्गों को 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश दिये जाने संबंधी आदेश क्रमांक एफ-44-32/वी-2/बीस/97, दिनांक 27 फरवरी 1998 भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग के उक्त आदेश दिनांक 27 फरवरी 1998 के निरस्त होने के फलस्वरूप शैक्षणिक संवर्गों के अवकाश खातों में आवश्यक सुधार किया जाए। दिनांक 1-1-2008 के पूर्व संवर्धनवृत्त हो चुके शिक्षकों के अवकाश खाते पुनः न खोले जाएं, भले ही उनके स्वतंत्रता का निराकरण दिनांक 1-1-2008 के पश्चात किया गया / जाना हो।

(5) शैक्षणिक संवर्गों को विश्रामावकाश से वंचित किए जाने के बदले प्राप्त होने वाले अवकाश का लेखा अर्जित अवकाश के लेखे की तरह ही रखा जाये।

(6) शैक्षणिक संवर्गों को मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1642/4106/नि-1/82/चार, दिनांक 17-12-1982 के अनुसार बनाए गए अवकाश के अतिरिक्त प्राप्त 10 दिन प्रतिवर्ष के अवकाश का लेखा लघुकृत अवकाश के रूप में ही संभारित किया जाय तथा इस लघुकृत अवकाश के नगदीकरण की पात्रता किसी भी कर्मचारी को नही होने से इसके नगदीकरण की सुविधा शैक्षणिक संवर्गों को भी उपलब्ध नहीं होगी।

2/ मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के सुंगत नियमों में यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

अर्जित

(ए.पी. के. वास्तव)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा क्रमांक : 420 / 2008 / नियम / चार


भोपाल, दिनांक 16 जून, 2008

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख संचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. जजिस्ट्रेट, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल / जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर ।
11. महाधिका / उप महाधिका, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर / ग्वालियर ।
12. महाधिका (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
15. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
18. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
19. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क एकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
20. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
21. अध्यक्ष, शासन के समस्त भान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
22. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
23. गाड फाइल

की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रपिप्त ।


(डी.के. सक्सेना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग


निर्वाचन अधिकारी
विधान विभाग
(निर्वाचन शाखा)

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्गुन भवन-मंत्रालय-भोपाल

दिनांक 7 अगस्त, 2008

क्रमांक 6-2/2008-वि.व.म./चार

- 1. प्रमुख नायब/सचिव
मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/
आदिमजाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/
तकनीकी शिक्षा विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग/
कृषक कल्याण विभाग
- 2. आयुक्त / रंचालय
उच्च शिक्षा विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/
आदिमजाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/
तकनीकी शिक्षा विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग/
कृषक कल्याण विभाग
- 3. सहायक कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

विषय- विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को अवकाश सुविधा।

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.ए.1/13/77/नि.1/चार, दिनांक 16-9-1980 के द्वारा राज्य शासन ने अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश के नगदीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसको अधिकतम सीमा 240 दिन है।

2/ विश्रामावकाश विभाग के शैक्षणिक संवर्गों जिन्हें विश्रामावकाश अवधि में ड्यूटी पर बुलाये जाने का फलस्वरूप बनाया कूट के बंधने देय अर्जित अवकाश को सेवानिवृत्ति के समय नगदीकरण विधि में जमा प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था। राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 419/2008/नियम/चार, दिनांक 16 जून 2008 द्वारा विश्रामावकाश विभाग में शैक्षणिक संवर्गों को विश्रामावकाश का लाभ लेने से वंचित होने की स्थिति में उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश के नगदीकरण की पात्रता अन्य विभागों के कर्मचारियों के समान ही गई है।

3/ उपर्युक्त सुविधा का उचित उपयोग होना सुनिश्चित करने की दृष्टि से विश्रामावकाश की अवधि में शैक्षणिक संवर्गों के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आहूत किए जाने के प्रशासनिक अधिकार को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

- (i) संबंधित कलेक्टर - एक वर्ष में अधिकतम 15 दिन
- (ii) विभागाध्यक्ष - एक वर्ष में अधिकतम 30 दिन

4/ कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)
(ए पी. श्रीवास्तव),
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय म०प्र०

गौतम नगर, भोपाल-462 021

Gautam nagar, Bhopal-462 021

दूरभाष 91-755-2583650, फ़ैक्स: 0755-2583651 ई-मेल: epi@bgaanchermlu

कमांक. स्था-2/एम/ /2011/1563
प्रति,

भोपाल, दिनांक, 14/10/11

संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण भोपाल संभाग, भोपाल
मध्य प्रदेश।

विषय: ग्रीष्मकाश में शासकीय कार्य किये जाने के एवज में अर्जित अवकाश प्रदान किये जाने के संबंध में।
सन्दर्भ: आपका अर्द्धशासकीय पत्र कमांक.3048. दिनांक 28.09.2011.

संदर्भित पत्रान्तर्गत आपने ग्रीष्मकाश में शासकीय कार्य करने के एवज में प्राचार्यों, व्याख्याताओं को अर्जित अवकाश प्रदाय करने के संबंध में निर्देश चाहे हैं।

उक्त संबंध में म०प्र० शासन वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक 410/2008/नियम चार दिनांक 16 जून 2008 के द्वारा इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये गए हैं जिसकी प्रति संलग्न है। कृपया इन निर्देशों के तहत प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करें।
संलग्न:- उक्तानुसार।

(सि) सहायक संचालक 14.10.2011
लोक शिक्षण म० प्र०
भोपाल, दिनांक, 14/10/11

पृष्ठांकमांक. स्था-2/एम/ /2011/1564
प्रतिलिपि:-

- स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त लोक शिक्षण (स्थानीय)
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- उप संचालक, समन्वय (स्थानीय)
- सहायक संचालक, स्था-1 (स्थानीय) की ओर टीप कमांक. स्था01/166. दिनांक 04.10.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- सहायक संचालक स्था-3 (स्थानीय)
- समन्वयक, कम्प्युटर (स्थानीय) की ओर विभागीय पोर्टल पर लोड करने हेतु सूचनार्थ।

(सि) सहायक संचालक 14.10.2011
लोक शिक्षण म० प्र०

Badkul

C:\Documents and Settings\establishment2\My Desktop\Badkul letter.doc

7

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक: एफ: 6-1 /2018/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06 अगस्त, 2018

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस करने बावत् ।

म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 25 के उप नियम (1) में, खण्ड (ग) में, उपर्युक्त विषयक संशोधन संबंधी अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई, 2018 संलग्न है ।

(अजय चौबे)

उप सचिव,

म.प्र.शासन, वित्त विभाग



8

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार दिनांक 3 अगस्त 2018—श्रावण 12 शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवा समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरस्कारित विधेयक
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम	(3) संसद के अधिनियम
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम,	

वित्त विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्र. एफ 6-1-2018-नियम-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 25 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ग) में, अंक "240" के स्थान पर, अंक "350" स्थापित किया जाए,
2. यह संशोधन, पहली जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगा.

No. F 6-1-2018-Rule-IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 1977, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 25, in sub-rule (1), in clause (g), for the figure "240" the figure "350" shall be substituted.
2. This amendment shall come into force on 01st July, 2018.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है।
भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

9

क्रमांक : एफ 6-1/2018/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 8 मार्च, 2019

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना।

- संदर्भ- 1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 50/1815/90/नि-6/चार, दिनांक 8-1-1991,
2. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक जी-3/2/96/सी/चार दिनांक 29-2-1996
3. वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक/एफ 6-1/2012/नियम/चार, दिनांक 25-9-2012.
4. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-1/2018/नियम/चार, दिनांक 28-7-2018.

---••---

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 8-1-1991 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश के नगदीकरण की पात्रता संबंधी गणना की विधि निर्धारित की गई है। इस गणना को क्रमशः परिपत्र दिनांक 29 फरवरी, 1996 एवं दिनांक 25-9-2012 के द्वारा और स्पष्ट किया गया है। इन वर्णित परिपत्रों के अनुसार शासकीय सेवा में नियुक्ति दिनांक से दिनांक 9-3-1987 तक की अवधि के लिए एक वर्ष में 15 दिन तथा दिनांक 9-3-1987 से सेवानिवृत्ति की तिथि तक की अवधि के लिए एक वर्ष में 07 दिन के आधार पर कुल पात्रता ज्ञात की जानी है। दिनांक 9-3-1987 के पश्चात की संपूर्ण सेवाअवधि के लिए प्रथमतः दो वर्ष के कालखंड पर 15 दिन की दर एवं शेष अवधि के लिए 7 दिन प्रतिवर्ष की दर से पात्रता की गणना की जानी है।

2/ वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-1/2018/नियम/चार, दिनांक 28 जुलाई 2018 से म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 25 को संशोधित करते हुये शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश के संचयन की अधिकतम सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस की गई है।

3/ उपर्युक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2018 के पश्चात सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों /सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 300 दिवस निर्धारित करता है। गणना का उदाहरण संलग्न है।

4/ यह आदेश दिनांक दिनांक 1-7-2018 से प्रभावशील माना जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अनुराग जैन)

प्रमुख सचिव

म.प्र. शासन, वित्त विभाग

गणना का उदाहरण


स.क्र (1)	विवरण (2)	उदाहरण "अ" (3)	उदाहरण "ब" (4)	अभ्युक्ति (5)
1.	नियुक्ति दिनांक	10-04-1983	1-8-1982	
2.	सेवानिवृत्त	31-7-2018	30-11-2019	
3.	नियुक्ति दिनांक से 9-3-1987 तक कुल सेवा	03 वर्ष 10 माह 29 दिन	04 वर्ष 7 माह 9 दिन	
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा	31 वर्ष 04 माह 21 दिन	32 वर्ष 8 माह 21 दिन	
5.	सरल क्रमांक (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से)	03×15= 45 दिन 1×15= 15 दिन 60 दिन	04×15=60 दिन 01×15=15 दिन 75 दिन	
6.	सरल क्रमांक-4 में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (प्रत्येक दो वर्ष में 15 दिन एवं खण्ड वर्ष में 7 दिन की दर से)	15×15=225 दिन 01×7= 07 दिन 232 दिन	16×15=240 दिन 240 दिन	

10

टीप- सरल क्रमांक 3 एवं 4 के स्तंभ 3 में खण्ड माह की अवधियों का योग 12 माह से कम होने पर लाभ नहीं दिया जाएगा। योग 12 माह से अधिक होने पर एक पूर्ण वर्ष माना जाकर निम्नानुसार लाभ दिया जाएगा:-

- सरल क्रमांक 3 के स्तंभ 3 में खण्ड वर्ष 6 माह से अधिक होने पर 15 दिन गणना में लिये जाएंगे।
- सरल क्रमांक 4 के स्तंभ 3 में खण्ड वर्ष 6 माह से अधिक होने पर 07 दिन गणना में लिये जाएंगे।
- सरल क्रमांक 3 एवं 4 के स्तंभ 3 दोनों में खण्ड वर्ष यदि 06-06 माह से अधिक होने पर 15 दिन गणना में लिया जाएगा।

7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता	292 दिन	315 दिन	-
8.	घटाईये - सेवा के दौरान अवकाश समर्पण का लाभ	15 दिन	7	-
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता अधिकतम 300 दिवस की सीमा	277 दिन	शेष 308 दिन (सीमित 300 दिवस)	अधिकतम 300 दिवस की सीमा


 (अजय चौबे)
 उप सचिव
 मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षामंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग